न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

पी.डी.आर. प्रकरण सं. 1/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
विकास अधिकारी,पंचायत समिति जसवंतपुरा		श्रीमति फालु देवी, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत कलापुरा, पंचायत समिति जसवंतपुरा हाल पत्नि श्री मफतलाल सेन, धर्मचन्द का खांचा,भण्डेरी पोल के अन्दर,लाल दरवाजा अहमदाबाद (गुजरात)

अन्तर्गत धारा 4 लोक अभियाचन अधिनियम 1952

पक्षकारान् के अधिवक्तागणः—

1.प्रार्थी व प्रार्थी के पैरोकार श्री नाथूसिंह,सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अनुपस्थित।

2.अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 8.3.2019

1. यह प्रकरण श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जालोर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति जसवंतपुरा ने पत्र कमांक/पंसज/लेखा/016—17/104 दिनांक 17.2.2017 से धारा 3 के तहत् Requisition for certificate प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार पंचायत समिति जसवंतपुरा के ग्राम कलापुरा में आडुपूरा हनुमानजी बेरा मरम्मत एवं गहरा करवाने का कार्य में व्यय की गई राशि 49980/—है तथा मूल्यांकन राशि 20000/—है, मूल्यांकन से अधिक व्यय राशि 29980/— है, इसी प्रकार आखरिया बेरा मरम्मत एवं गहरा करवाने का कार्य में व्यय की गई राशि 49730/— है,मूल्यांकन राशि 27090/—है, मूल्यांकन से अधिक व्यय राशि 22640/—है,इस प्रकार मुल्यांकन से अधिक की गई कुल 29980/— + 22640/—= 52620/— है जो सबंधित सरपंच व ग्रामसेवक से समान भाग से वसूल योग्य है यानि प्रत्येक से क्रमशः 26310/—,26310/—,वसूली योग्य है। इस बाबत् अवर सचिव(जांच), ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र क्रमांकःएफ3(5)जांच /प्रावि/

जालोर/ 7/1611 दिनांक 7.5.2013 से भी सबंधित सरपंच व ग्रामसेवक से उक्त राशि वसूली हेतु निर्देश प्रदान करना,विकास अधिकारी, पंचायत समिति जसवंतपुरा ने अपने पत्र क्रमांक/पंसज/लेखा/बताया है लेकिन प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति जसवंतपुरा ने केवल अप्रार्थी के विरूद्ध ही धारा 3 के तहत् Requisition for certificate 26310/– का ही पेश किया गया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध ही पी.डी.आर.एक्ट का प्रकरण दर्ज करावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से श्री राजीव परिहार, पंचायत प्रसार अधिकारी, कार्यालय विकास अधिकारी,पंचायत समिति जसवंतपुरा दिनांक 6.4.17, 17.10.17, 27.11.17, 27.12.17, 29.1.18, 27.4.18 को तथा श्री शान्तिलाल, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय पंचायत समिति जसवंतपुरा दिनांक 15.10.18, 29.11.18 को तथा श्री नाथूसिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत समिति जसवंतपुरा दिनांक 24.12.18, 12.2.19, 25.2.19, 26.2.19, 6.3.2019 को उपस्थित रहे है। अप्रार्थी को नोटिस तारीख पेशी 6.4.2017 का डाक से रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने पर, नोटिस की प्राप्ति रसीद डाक से प्राप्त हो चुकी है लेकिन अप्रार्थी उपस्थित नही हुई है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

3. यहां यह लिखना उचित हैं कि प्रार्थी विकास अधिकारी,पंचायत समिति जसवंतपुरा जिला जालोर के पत्र क्रमांक /पंसज/ लेखा/ 2016–17/104 दिनांक 17.2.17 जो श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय को पी. डी.आर.एक्ट के तहत् प्रकरण दायर करने बाबत् संबोधित है, में श्रीमति फालु देवी, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत कलापुरा, पंचायत समिति जसवंतपुरा हाल पत्नि श्री मफतलाल सेन, धर्मचन्द का खांचा,भण्डेरी पोल के अन्दर,लाल दरवाजा अहमदाबाद (गुजरात) से राशि 26310/तथा श्री भागीरथ मीणा, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत कलापुरा, पंचायत समिति जसवंतपुरा हाल पंचायत प्रसार अधिकारी ,पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर(राज.) से राशि 26310/–वसली हेतु प्रकरण दर्ज करने के लिए प्रस्तुत किया है लेकिन प्रार्थी विकास अधिकारी,पंचायत समिति जसवंतपुरा द्वारा केवल अप्रार्थी श्रीमति फालुदेवी, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत कलापुरा से ही राशि 26310/–वसूली हेतु धारा 3 के तहत् Requisition for certificate प्रस्तुत किया है ,तत्कालीन ग्रामसेवक के विरूद्ध कोई पी.आर. एक्ट के तहत् धारा 3 का Requisition for certificate पेश नही किया गया है। अतःप्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति जसवंतपुरा इस सबंध में स्थिति

स्पष्ट करे कि क्या सबंधित ग्रामसेवक श्री भागीरथ मीणा से उक्त राशि 26310/–वसूली पूर्व में हो चुकी है , अगर राशि वसूली नही हुई है तो सबधित ग्रामसेवक श्री भागीरथ मीणा के विरूद्ध पी.डी.आर.एक्ट के तहत् प्रकरण तैयार कर पेश नहीं करने के लिए कौन दोषी है? उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे तथा श्री भागीरथ मीणा के विरूद्ध पी.डी. आर.एक्ट के तहत् प्रकरण तैयार कर सबंधित न्यायालय में पेश करे।

3. प्रार्थी के पैरोकार की एकतरफा बहस सुनी गई । रैकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम कलापुरा में आडुपूरा हनुमानजी बेरा मरम्मत एवं गहरा करवाने का कार्य में व्यय राशि 49980/–, मूल्यांकन राशि 20000/–, मूल्यांकन से अधिक व्यय राशि 29980/–है तथा आखरिया बेरा मरम्मत एवं गहरा करवाने का कार्य में व्यय राशि 49730/–,मूल्यांकन राशि 27090/–,मूल्यांकन से अधिक व्यय राशि 22640/– है , इस प्रकार मूल्यांकन से अधिक व्यय राशि कुल 29980+22640=52620 है जो सबंधित सरपंच,ग्राम पंचायत कलापुरा व ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत कलापुरा से क्रमशः 26310/–,26310/–वसूली योग्य है। चूंकि यह प्रकरण अप्रार्थी केवल श्रीमति फालूदेवी,तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत कलापुरा के विरूद्ध 26310/–राशि की वसूली का ही Requisition for certificate तैयार कर पेश किया गया है। अतः अप्रार्थी श्रीमति फालुदेवी सरपंच, ग्राम पंचायत कलापुरा से ही 26310/–मय ब्याज के वसूली योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रकरण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी श्रीमति फालूदेवी से उक्त राशि रूपये 26310/–अक्षरे छब्बीस हजार तीन सौ दस रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज (दिनांक 8.3.2019 से) तथा 10 प्रतिशत वसूली खर्चा, वसूल करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार वसूली प्रमाण पत्र जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

S.d.
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

आज दिनांक 8.3.2019 को निर्णय खुले न्यायालय में पढकर सुनाया गया। ।

S.d.
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE ADDL. DISTT.COLLECTOR,JALORE
FORM NO-2
Certificate of Public Demand
(See Section-4)

No of Certificate	Name &address of authority sending requisition	Name & address of defaulter	Amount of public Demand including interest if any for which this certificate is signed & period for which such demand is due (and coststs,if any)	Further particulars of the public demand for which this certificate is signed
1	2	3	4	5
1/2017	विकास अधिकारी, पंचायत समिति जसवंतपुरा	श्रीमति फालु देवी, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत कलापुरा, पंचायत समिति जसवंतपुरा हाल पत्नि श्री मफतलाल सेन, धर्मचन्द का खांचा,भण्डेरी पोल के अन्दर,लाल दरवाजा अहमदाबाद (गुजरात)	26310/–मय 13 प्रतिशत ब्याज दिनांक 8.3.2019 से एवं 10 प्रतिशत वसूली खर्चा	विकास अधिकारी, पंचायत समिति जसवंतपुरा के धारा 3 के तहत् जारी Requisition for certificate के अनुसार

I hereby certify that the above mentioned sum of Rs 26310/-is due from the above named.

I further certify that the above mentioned sum Rs. 26310/- is justly recoverable & that its recovery by suit is not barred by law.

Date 8-3-2019

S.d.
Addl. Distt. Collector,
Jalore